

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुमला

आवेदन आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) गुमला के कार्य योजना धान, दलहन एवं पोषक फसलें अंतर्गत गुमला जिला में उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम से किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में गुमला जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान पंचास प्रतिशत सीमित अनुदान पर इच्छुक कृषको को आवेदन जमा करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के आलोक में नीचे वर्णित कृषि उपकरण/कृषि उपादान हेतु इच्छुक कृषको से अनुदान पर कृषि यंत्र / कृषि उपादान हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र०सं०	यंत्र का नाम	कुल	क्र०सं०	यंत्र का नाम	कुल
1	पावर वीडर	30	11	पैडी ट्रान्सप्लान्टर	1
2	नेपसैक स्प्रेयर	493	12	सीड स्टोरेज बीन	40
3	पावर स्प्रेयर	145	13	पम्प सेट	155
4	रोटावेटर	12	14	सिंचाई पाईप	710
5	मल्टी कॉप थ्रेसर	8	15	कोनोवीडर	30
6	सीड ड्रिल	3	16	रेन गन	2
7	जीरो टील	3	17	स्प्रिंकलर	6
8	चीसल प्लाउ	1	18	मिलेटस मिल	2
9	रीडज फॉर प्लॉटर	1	19	मिनी राइस मिल	20
10	पावर टीलर	1	20	मिनी दाल मिल	2

समेकित पोषक तत्व प्रबंधन		अनुदान	लक्ष्य
1	सूक्ष्म पोषक तत्व	अधिकतम 500 रु० प्रति हे०	2855 ha.
2	डोलोमाईट/लाईम	अधिकतम 1000 रु० प्रति हे०	1145ha.
3	जिप्सम	अधिकतम 750 रु० प्रति हे०	560 ha.
4	जैव. उर्वरक	अधिकतम 300 रु० प्रति हे०	1465ha.
समेकित कीट प्रबंधन		अनुदान	लक्ष्य
1	पादप सुरक्षा रसायन एवं वायो पेस्टीसाईड	अधिकतम 500 रु० प्रति हे०	1895 ha.
2	खर-पतवार नाशक	अधिकतम 500 रु० प्रति हे०	760 ha.
स्थानीय पहल		अनुदान	लक्ष्य
1	थ्रेसिंग फ्लोर	अधिकतम 57500 रु० प्रति ईकाई	23

- आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक का आधार कार्ड का छाया प्रति।
- पास बुक का फोटो कॉपी का छाया प्रति।
- मुखिया द्वारा वंशावाली।

नोट :-

1. कृषि यंत्र हेतु इच्छुक किसान अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे।
2. आवंटन की राशी के अनुसार भौतिक लक्ष्य का संशोधन किया जा सकता है।
3. उपरोक्त किसी भी यंत्र / उपादान का क्रय लाभको द्वारा संबंधित एजेंसी राज्य सरकार के अधिकृत विक्रेता से करने पर ही अनुदान की राशी का भुगतान किया जाएगा।
4. पूर्व के 3 वर्षों में किसी भी यांत्रिकरण योजना के द्वारा लाभ नहीं लिया हो शपथ - पत्र देना अनिवार्य होगा।

PR 304873 Agriculture(23-24)#D

जिला कृषि पदाधिकारी-सह-
परियोजना निदेशक, आत्मा, गुमला